

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 847/2024

अनवान : –

1. शुभान्सु पुत्र कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहली पंजाब।
2. विनिता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहली पंजाब।

– वादी

बनाम्

1. अमित कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. ज्ञानसिंह पुत्र गुरुचरण जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. तारामणी पत्नी टीकूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र भगवती प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. रघुवीर सिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील रावतसर।
6. राजवाला पत्नी गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
7. स्वाती शर्मा पुत्री आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. सौरभ जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9. गोरव जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
10. दीप्ति शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मोहली तहसील व जिला मोहाली
11. जयश्री शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मोहली तहसील व जिला मोहाली
12. उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 06/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 139/110 की कुल 20.9170 हैक्ट भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 2615/41834 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 की माता मृतक आशा का 747/20917 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 747/20917 हिस्सा, वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की माता मृतक कमला का 747/20917 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 5229/20917 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 2242/20917 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 2614/20917 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 5229/20917 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 2614/41834 हिस्सा, वादी स0 1 का 747/20917 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वादी की माता कमला की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी स0 1 व प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 है इसलिए मृतक कमला का 347/20917 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 11 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 की माता आशा की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 है इसलिए मृतक के नाम दर्ज 747/20917 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वाद भूमि संयुक्त खाता की होने

Rahul

उपखण्ड अधिकारी

Page 1 of 3

नोहर

के कारण सीव व डोल संबंधी झगड़ा रहता है इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे व खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 4 व 6, 10 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6, 10 ता 12 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र कमला, सदस्य प्रमाण पत्र बहक कमला व आशा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं० 139/110 की कुल 20.9170 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. शुभान्शु पुत्र कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार, दीप्ति शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार, जयश्री शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार — ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल —0.747 है. कुल खसरे—1 कुल रकबा— 0.747 है. बा 1
2. सौरभ जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खातेदार, गोरव जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खातेदार, स्वाती शर्मा आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खातेदार— ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल —0.747 है. कुल खसरे—1 कुल रकबा— 0.747 है. बा 1
3. विनीता पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा— पूर्ण जाति— ब्राह्मण निवासी कानसर हाल मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार — ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल —0.747 है. कुल खसरे—1 कुल रकबा— 0.747 है. बा 1
4. उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा— पूर्ण जाति— ब्राह्मण सा. देह खातेदार — ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल —0.747 है.


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5. अमित कुमार पुत्र गोरीशंकर हि० 1/2 जाति ब्राहमण सा० गोगामेड़ी राहिन हि० 1/2 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, राजबाला पत्नी गोरीशंकर हि० 1/2 जाति ब्राहमण सा० गोगामेड़ी खातेदारी राहिन हि० 1/2 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर – ग्राम कानसर ख०न० 234 की 2.614 हैक्ट कुल 2.614 हैक्ट बारानी प्रथम
6. ज्ञानसिंह पुत्र गुरचरणसिंह हि० पूर्ण जाति जट सिख सा० नोहर खातेदार राहिन हि० पूर्ण खाता ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर– ग्राम कानसर के ख०न० 234 की 5.229 हैक्ट कुल 5.229 हैक्ट बारानी 1
7. तारामणी पत्नी टीकूराम हि० पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० थिराना तहसील नोहर खातेदार राहिन हि० पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर– ग्राम कानसर के ख०न० 234 की 2.243 हैक्ट कुल 2.243 हैक्ट बारानी 1
8. पवन कुमार पुत्र भगवतीप्रसाद हि० पूर्ण जाति ब्राहमण सा० नोहर खातेदार राहिन हि० पूर्ण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर– ग्राम कानसर ख०न० 234 की 2.614 हैक्ट कुल 2.614 हैक्ट बारानी 1
9. रघुवीरसिंह पुत्र भागीरथ हि० पूर्ण जाति जाट सा० जोरावरपुरा खातेदार राहिन हि० पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर– ग्राम कानसर ख०न० 234 की 5.229 हैक्ट कुल 5.229 हैक्ट बारानी 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...06/01/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 847/2024
अनवान : -

1. शुभान्सु पुत्र कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब।
2. विनिता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब।

- वादी

बनाम्

1. अमित कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. ज्ञानसिंह पुत्र गुरुचरण जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. तारामणी पत्नी टीकूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र भगवती प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. रघुवीर सिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील रावतसर।
6. राजवाला पत्नी गौरीशंकर जाति ब्राहमण निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
7. स्वाती शर्मा पुत्री आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. सौरभ जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9. गोरव जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी जाति ब्राहमण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
10. दीप्ति शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली
11. जयश्री शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली
12. उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 847 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 139/110 की कुल 20.9170 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. शुभान्सु पुत्र कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी कानसर हाल निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार, दीप्ति शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार, जयश्री शर्मा पुत्री कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी गोवर्धन लाल शर्मा हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार - ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल -0.747 है. कुल खसरे-1 कुल रकबा- 0.747 है. बा 1
2. सौरभ जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खातेदार, गोरव जोशी पुत्र आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खातेदार, स्वाती शर्मा आशा पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पशुपति जोशी हिस्सा 1/3 जाति

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- ब्राह्मण निवासी हाल लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर खातेदार- ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल -0.747 है. कुल खसरे-1 कुल रकबा- 0.747 है. बा 1
3. विनीता पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राह्मण निवासी कानसर हाल मोहाली तहसील व जिला मोहाली पंजाब खातेदार - ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल -0.747 है. कुल खसरे-1 कुल रकबा- 0.747 है. बा 1
 4. उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार - ग्राम कानसर खसरा न. 234 की 0.747 है., कुल -0.747 है.
 5. अमित कुमार पुत्र गोरीशंकर हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 गोगामेड़ी राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, राजबाला पत्नी गोरीशंकर हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 गोगामेड़ी खातेदारी राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर - ग्राम कानसर ख0न0 234 की 2.614 हैक्ट कुल 2.614 हैक्ट बारानी प्रथम
 6. ज्ञानसिंह पुत्र गुरचरणसिंह हि0 पूर्ण जाति जट सिख सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर- ग्राम कानसर के ख0न0 234 की 5.229 हैक्ट कुल 5.229 हैक्ट बारानी 1
 7. तारामणी पत्नी टीकूराम हि0 पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 थिराना तहसील नोहर खातेदार राहिन हि0 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर- ग्राम कानसर के ख0न0 234 की 2.243 हैक्ट कुल 2.243 हैक्ट बारानी 1
 8. पवन कुमार पुत्र भगवतीप्रसाद हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 नोहर खातेदार राहिन हि0 पूर्ण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर- ग्राम कानसर ख0न0 234 की 2.614 हैक्ट कुल 2.614 हैक्ट बारानी 1
 9. रघुवीरसिंह पुत्र भागीरथ हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 जोरावरपुरा खातेदार राहिन हि0 पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर- ग्राम कानसर ख0न0 234 की 5.229 हैक्ट कुल 5.229 हैक्ट बारानी 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक06/01/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर